UPLK010118472017

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

विशेष वाद सं0 582/2017

सरकार **बनाम** पिन्कू यादव

अ0सं0 154/2015
धारा—323 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)10 एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट,
थाना—निगोंहा, लखनऊ।

24—05—2023

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त पिन्कू यादव मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 323 भा0द0सं0 तथा धारा 3(1)10 एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 24.07.2023 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010118472017

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।</u>

<u>विशेष वाद सं0 582/2017</u>

सरकार **बनाम** पिन्कू यादव

अ0सं0 154/2015
धारा–323 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)10 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–निगोंहा, लखनऊ।

<u>आरोप</u>

मैं, नरेन्द्र कुमार–III विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त पिन्कू यादव को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथमः यह कि दिनांक 22–06–2015 को समय अदम तहरीर थाना निगोंहा जिला लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम मदनखेड़ा में आप लोगों ने वादी मुकदमा संजीत कुमार पासवान को मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप ने अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा संजीत कुमार पासवान को जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा–3(1)(X) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(नरेन्द्र कुमार–III)
दिनांकः 24–05–2023 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 5950

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(नरेन्द्र कुमार–III)
दिनांकः 24–05–2023 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 5950

शैलेन्द्र, आशुलिपिक

Digitally signed by NARENDRA KUMAR III
Date: 2023.05.24 18:04:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court